**न्यायालयः अवर न्यायाधिश, तृतीय, लखीसराय**
**स्वतवाद संख्या–174/2019**
**विपिन कुमार बनाम रजनीगंधा**

**13.01.2026** वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। पुकार पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अभिलेख का अवलोकन किये। विगत कई तिथियों से वादी अनुपस्थित चले आ रहा है। वादी द्वारा अग्रतर कार्यवाही हेतु स्टेपस नहीं लिये जा रहे हैं। वाद की कार्यवाही यूं ही लंबित है। वादी मास्टर ऑफ सूट होता है, परंतु स्वयं वादी द्वारा अभिलेख में कार्यवाही बढ़े, इसमें रूचि नहीं लिया जाना प्रतीत होता है। वादी दिये गये आदेश का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। वाद को यूं हीं लंबित नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोई पैरवी नहीं किये जाने व आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में वाद अभिलेख को खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(विधानंद सागर)
सब जज.–3,
लखीसराय।